



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
(महिला), झज्जर एट गुढा व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
(महिला), रिवाड़ी।
यादि कमांक स्थापना-टीई/डी0सी0 रेट/बेसिक कोसमैटोलोजी भर्ती/प्रशासन-4/ 5392
दिनांक 20/3/17

विषय: अनुबन्ध आधार पर चयन होने उपरान्त प्रार्थी को कार्यग्रहण करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।
सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की हिदायतों अनुसार/बेसिक कोसमैटोलोजी अनुदेशकों के रिक्त पद को अनुबन्ध आधार पर भरने के लिये कमेटी द्वारा तैयार की गई मैरिट/चयन सूची के आधार पर जो प्रार्थी मैरिट में वरिष्ठ हैं, उसे निदेशालय के पत्र दिनांक 20.01.2017 के अनुसार संस्थान अलाट कर दिया गया था लेकिन सम्बन्धित संस्थान में उस व्यवसाय का पद रिक्त ना होने के कारण उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया गया था। उसको सम्बन्धित कैटेगरी में जिस संस्थान में कार्यग्रहण करवाया जाना है, उसका ब्यौरा निम्न अनुसार दिया जाता है:-

ITI/CTI Basic Cosmetology (Hair & skin Care).

Sr. No.	Name of Candidate	Catagory	Name of Instt.	Remarks
1/44	Happy Rani D/o Sh Balwan Singh, VPO Luksar, Tehsil Bahadurgarh, Distt. Jhajjar.	ESM	GITI (W) (Jhajjar at Gudha Now GITI (W), Rewari)	Against vacant post.

संस्थान के मुखिया को आदेश दिये जाते है कि वह सम्बन्धित व्यवसाय में दाखिला पूर्ण होने की स्थिति में ही प्रार्थीयों से एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर नियमानुसार उनके मूल दस्तावेजों का निरीक्षण करते हुए Service Agreement करने उपरान्त उसे कार्यग्रहण करवाया जाये और उसकी कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति तुरन्त निदेशालय को भिजवाये। इसके साथ-साथ उसकी शैक्षणिक योग्यता /अनुभव प्रमाण पत्रों की वैरीफिकेशन करवाई जाये, यदि प्रार्थी का कोई प्रमाण पत्र गलत/बोगस पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निदेशालय को सूचित किया जाये। उम्मीदवार के एग्रीमेंट में यह भी अंकित किया जाए कि CWP No. 21132 of 2016 dated December 14, 2016 के आदेशानुसार यह शर्त भी लगाई जानी है कि The appointments made, if any, in pursuance to the advertisement dated 25-4-2016 shall be subject to the outcome of this petition.

Uodh 15/03/17
सहायक निदेशक (स्थापना-4)
कृत: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

c.c. सहायक निदेशक/नोडल ओफिसर (वैब साईट)